न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व अपील संख्या 05/2016

श्री सम्पतराज पुत्र श्री जंवरीलाल बोहरा जाति बोहरा (जैन) निवासी ग्राम जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———अपीलार्थी

ब ना म

1– राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार मसूदा तहसील कार्यालय मसूदा

2– सरपंच ग्राम पंचायत जामोला तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0

———प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1520 दिनांक 20.1.2016 ग्राम जामोला

निर्णय दिनांक 21.12.2017

अपीलार्थी ने सारांक्षतः अपील में निवेदन किया है, कि ग्राम जामोला पटवार क्षैत्र जामोला तहसील मसूदा में स्थित खसरा नंबर 2368 रकबा 00–12–00 को अपीलार्थी ने दिनांक 23.4.2015 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के रामपाल पुत्र माणचन्द जाति महाजन निवासी जामोला से क्रय की एंव बेचानकर्ता ने अपीलार्थी को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से ही अपीलार्थी का कब्जा है। और उसी दिन एक अन्य खसरा नंबर 2370 भी क्रय और कब्जा अपीलार्थी का चला आ रहा है। अपीलार्थी ने उक्त बेचाननामा के आधार पर नामान्तकरण करवाने हेतू पटवार हल्का जामोला में प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु ग्राम पंचायत ने बाद जांच के दिनांक 20.1.2016 को खसरा नंबर 2370 का इन्द्राज स्वीकृत कर दिया किन्तु खसरा नंबर 2368 का इन्द्राज खारीज करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त बाबत नामान्तकरण रजिस्टर में नोट लगाया गया। ग्राम पंचायत जामोला को नामान्तकरण खारीज करने का कोई विधिक अधिकार नही था। जबकि अपीलार्थी के नाम नामान्तकरण खारीज किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नही है, तथा खसरा नंबर 2368 जो कि निजी सम्पत्ति है, इसको सार्वजनिक सम्पत्ति माने जाने अथवा घोषित किये जाने का कोई अधिकार नही है, ना ही कोई विधिक प्रकिया सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित करने की अपनाई गई वरन गलत गलत एंव अविधिक तरीके से स्वार्थवश वोटो की राजनैतिक के वशीभूत उक्त कार्यवाही की गई है। तथा उक्त भूमि रामपाल जी की निजी सम्पत्ति थी एंव राजस्व अभिलेखो में दर्ज है, तथा उसके द्धारा विधिवत बेचाननामा अपीलार्थी के हक में किया गया है, जिसको ग्राम पंचायत द्धारा सार्वजनिक उपयोग में लेने का कोई औचित्य नही है। जबकि राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक उपयोग लेने हेतू कोई दर्ज नही है। क्रय सम्पत्ति पर कब्जा किसका है, तथा उपयोग उपभोग कौन कर रहा है, इसकी जांच पडताल करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नही है, केवलमात्र दस्तावेज नामान्तकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक है, तथा खारीज करने का अधिकार नही है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कि जाकर नामान्तकरण संख्या 1520 दिनांक 20.1.2016 खसरा नंबर 2368 बाबत निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावे।

अपील के साथ में अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि दिनांक 20.1.2016 को नामान्तकरण खारीज किया जिसकी अपील प्रस्तुत की गई उक्त नामान्तकरण खारीज करने का पता चलते ही नकले प्राप्त की तथा तहसीलदार साहब मसूदा को कार्यवाही हेतू नोटिस/प्रार्थना पत्र दिनांक 26.8.2016 को पेश किया तथा उसके दो माह बाद अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने जानबूझकर देरी नही की जो देरी हुई उसे कन्डोन कि जाकर अपील ग्रहण स्वीकार फरमाई जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया

प्रकरण में अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई अपीलार्थी ने अपील व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनो को दोहराते हुये अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रत्यर्थी ने मौखिक विरूद्ध करते हुये अपील अन्दर मियाद नही होने के कारण से अपील खारीज की जावे तथा उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग हेतू काम में ली जा रही है, तथा ग्राम पंचायत ने जो नामान्तकरण खारीज किया गया है जो सही है।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रत्यर्थी द्धारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को देखते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी द्धारा प्रस्तुत दस्तावेज बेचाननामा दिनांक 23.4.2015 के द्धारा रामपाल पुत्र माणकचन्द ने खसरा नंबर 2370 व 2368 को अपीलार्थी को बेचान कब्जा दिया जाना पाया गया। जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में जरिये नामान्तकरण संख्या 1520 के अनुसार खसरा नंबर 2370 अपीलार्थी के नाम दर्ज होना पाया गया। अपीलार्थी द्धारा प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 1520 में यह अंकित किया जाना पाया गया कि खसरा नंबर 2368 में सार्वजनिक खेली, तथा ग्रामवासीयो के द्धारा आपत्ति होने के कारण निरस्त किये जाने का अंकन पाया गया। जबकि उक्त खसरा नंबर 2368 गै0मु0चाह रामपाल पुत्र माणकचन्द के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया तथा जमाबंदी में सार्वजनिक दर्ज होने बाबत कोई अंकन नही पाया जाता है ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाती है।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत जामोला के नामान्तकरण संख्या 1520 दिनांक 20.01.2016 अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतू इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि अपालार्थी द्धारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज का अवलोकन कर पुनः एक माह के भीतर भीतर निर्णय पारीत करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 21/12/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 12:06:11 IST
Reason: SelfAttested
Location: